


619  
15.8.13



C.F. 20/-

<sup>पटेल</sup>  
रामकुमार तनय श्री गंगा प्रसाद पटेल निवासी ग्राम डीही तहसील हुजूर थाना  
गोविन्दगढ़ जिला रीवा [म०प्र०] -----आवेदक

R-4172-11/13

बनाम

1. रामसुन्दर <sup>पुत्र</sup> तनय महादेव <sup>पुत्र</sup> निवासी ग्राम डीही तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०
2. म०प्र० शासन -----अनावेदकगण

रखिबक्ता श्री जी.एन.पटेल  
नारा प्रस्तुत।  
रीवा, दि. 15.10.13

क्लर्क आफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

नगरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक वृत्त गोविन्दगढ़  
तहसील हुजूर जिला रीवा [म०प्र०] जरिये प्रकरण  
क्रमांक 18अ/2/2012-13 आदेश दिनांक 13-8-2013  
आदेश दिनांक 13-8-13 मुताबिक धारा 50 म०प्र०  
भूराजस्व संहिता सन् 1959 ई० ।

मान्यवर,

नगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा किया गया सीमांकन आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है
2. यह कि वाद ग्रस्त भूमि खसरा 177/2 रकबा 0.004 अर्रे स्थित ग्राम डीही 241 पटवारी हल्का सुपिया 52 तहसील हुजूर जिला रीवा का सीमांकन अनावेदक क्रमांक 2 अनावेदक क्रमांक 1 के आवेदन पत्र पर प्रदेश पी०-3 जो फील्ड बुक व नजरी नक्शा दिनांक 12-7-2013 को तैयार किया गया है उसे अवलोकन करने से वाद ग्रस्त भूमि की सीमा 80 से बी की दूरी 16 कड़ी बी से सी की

65 कड़ी सी से ही की दूरी 16 कड़ी और ही से सी की दूरी 65 कड़ी

7.11.13

M

रामकुमार पटेल - रामसुन्दर गुड्डा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं ओ. ए. ए. आदि के हस्ताक्षर
<p>29-3-16</p> <p>(9)</p>	<p>- आवेदक लगता कहे पेशियों से सूचना परान्त उपस्थित नहीं।</p> <p>- आवेदक सूचना परान्त उपस्थित नहीं।</p> <p>- अधीनस्थ जमापालम का अभिलेख प्राप्त।</p> <p>- वांछित लिपासर्वी।</p> <p><u>G.F. 16-5.16</u></p>	<p>हस्ता. नहीं दिना।</p> <p>आदा. ले</p> <p>16/5/16</p>
<p>16.5.16</p> <p>(59)</p>	<p>1- आवेदक तथा उनके अभिभाषक सूचना उपरान्त उपाधीत नहीं हो रहे हैं।</p> <p>2. अपावेदक भी सूचना उपरान्त उपाधीत नहीं हैं।</p> <p>3. अधी. जमा. का अभिलेख प्राप्त हो चुका है जो इस प्रकार के साथ लगा है।</p> <p>4. वांछित अध पत्र के उपाधीत होने पर वकी. चेसी वापस 14-6-16</p> <p>पुनः आवेदक अभिभाषक श्री जी. एल. पेटेल उपा.</p>	<p>प्रकरण अभी नहीं चलाना चाहते हैं इसी प्रकार समाप्त किया जाय।</p> <p>गोपनीय</p> <p>14.6.16</p> <p>16.5.16</p>
<p>14.6.16.</p>	<p>1- प्रकाश प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक अभिभाषक श्री जी. एल. पेटेल एड. उपाधीत आवेदक अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि अब इस प्रकार के भंगे नहीं चलाना चाहते। शर्त आवेदक द्वारा प्रकाश भंगे नहीं चलाना चाहिए। अतः प्रकाश समाप्त किया जाता है।</p> <p>3. प्रकाश वकी से समाप्त होकर दान. हो।</p>	<p>जी. एल. पेटेल एड.</p> <p>14.06.16</p>